

कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25605/वो.-1/2022-23/289

दिनांक :- 18-08-2022

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
रा.उ.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि.,

- विषय:- नव क्रमोन्नत 3812 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण करते रहने के सम्बन्ध में।
- प्रसंग :- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प.4(6)शिक्षा-1/2020 जयपुर दिनांक 22.03.2022, 13.04.2022, 28.07.2022 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25605/वो.-1/2022-23/164 दिनांक 05.08.2022

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 25 एवं 28 (iv) की क्रियान्विति एवं पालना में राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेशों द्वारा 3832 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाकर पदों का सृजन किया गया है एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.08.2022 द्वारा क्रमोन्नत 3812 विद्यालयों से प्रधानाध्यापक का पद प्रत्याहरित करते हुए प्रधानाचार्य (L-16) के पदों का आवंटन जारी किया गया था। अतः इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जब तक प्रधानाचार्य का पदस्थापन नहीं हो जाता है, तब तक इन नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक को पूर्व की भांति ही अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय लेखा नियम 03 के तहत आहरण वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। वे अपना वेतन भी प्रधानाचार्य के रिक्त पद के विरुद्ध तथा समस्त कार्मिकों का वेतन आहरित करते रहेंगे तथा इनको विद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्य यथावत करते रहने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।



वित्तीय सलमहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25605/वो.-1/2022-23/289

दिनांक :- 18-08-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
4. उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक,
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को भेजकर लेख है कि आगामी अंक में प्रकाशन की कार्यवाही करावे।
7. समस्त कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
8. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एबी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. अनुभाग अधिकारी, लेखा डी-2 अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर